कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1800 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेख दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त कर लिये हैं। जो मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं। मा0 आयोग को अवगत कराना है कि डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेखों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में लोक सूचना अधिकारी की ओर से अनुपालन आख्या मा0 सूचना आयोग की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक 13810 / (अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक 22.11. 2014

1. **लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी**, कार्यालय **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।**

2. **लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, **देहरादून।**

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन** अधिकारी, उत्तराखण्ड **शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न : यथोपरि।

22/11/14
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : **श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77** कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया.

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि अपीलकर्ता का सूचना का अधिकार से सम्बन्धित अनुरोध पत्र दिनांक 07/08/14 उनके कार्यालय में प्राप्त न हो कर द्वितीय अपील के नोटिस के साथ दिनांक 05/11/14 को प्राप्त हुआ है. जबकि अपीलकर्ता के द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि उनका अनुरोध पत्र स्पीड पोस्ट संख्या EV507799116IN दिनांक 11/08/14 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्त कराया गया है. इसी प्रकार प्रथम अपील प्रार्थना पत्र भी स्पीड पोस्ट संख्या EV521921842IN दिनांक 12/09/14 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय को प्राप्त कराये जाने का प्रमाण अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

3. अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से जी.पी.ओ. देहरादून से ज्ञात करें कि उक्त दोनों स्पीड पोस्ट पत्रों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में किसे प्राप्त कराया गया था. लोक सूचना अधिकारी द्वारा जी.पी.ओ. से उक्त प्रमाण तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अपील की सुनवायी की अगली तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

4. अपीलकर्ता के द्वारा भी जी.पी.ओ. से उपरोक्त स्पीड पोस्ट पत्रों की प्राप्ति का प्रमाण एवं रसीद प्राप्त कर अपील की सुनवायी की अगली तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

5. लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता के द्वारा उपरोक्त प्रमाण एवं रसीद प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए पत्रावली 03/12/2014 को प्रस्तुत हो.

20/11/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
20.11.2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाषः0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक : 13816/(अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक 22.11. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

22/11.14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया.

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि अपीलकर्ता का सूचना का अधिकार से सम्बन्धित अनुरोध पत्र दिनांक 07/08/14 उनके कार्यालय में प्राप्त न हो कर द्वितीय अपील के नोटिस के साथ दिनांक 05/11/14 को प्राप्त हुआ है. जबकि अपीलकर्ता के द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि उनका अनुरोध पत्र स्पीड पोस्ट संख्या EV507799116IN दिनांक 11/08/14 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्त कराया गया है. इसी प्रकार प्रथम अपील प्रार्थना पत्र भी स्पीड पोस्ट संख्या EV521921842IN दिनांक 12/09/14 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय को प्राप्त कराये जाने का प्रमाण अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

3. अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से जी.पी.ओ. देहरादून से ज्ञात करें कि उक्त दोनों स्पीड पोस्ट पत्रों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में किसे प्राप्त कराया गया था. लोक सूचना अधिकारी द्वारा जी.पी.ओ. से उक्त प्रमाण तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अपील की सुनवायी की अगली तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

4. अपीलकर्ता के द्वारा भी जी.पी.ओ. से उपरोक्त स्पीड पोस्ट पत्रों की प्राप्ति का प्रमाण एवं रसीद प्राप्त कर अपील की सुनवायी की अगली तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

5. लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता के द्वारा उपरोक्त प्रमाण एवं रसीद प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए पत्रावली 03/12/2014 को प्रस्तुत हो.

20/11/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
20.11.2014

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1798 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

–:कार्यालय आदेशः–

सूचना के अधिकार संबंधी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार एवं प्रथम अपील संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किंतु सूचना अधिकार संबंधी अवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत/श्री नेगी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 03 दिन के अन्दर अर्थात 05 दिसम्बर, 2014 तक अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सूचना अधिकार संबंधी उक्त आवेदन पत्र को प्राप्त किये जाने के उपरान्त भी किन परिस्थितियों में निस्तारण हेतु लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया। क्यों न आपके विरूद्ध सूचना अधिकार संबंधी कार्यों में लापरवाही के प्रति कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– /XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि 1. श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर देहरादून को अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 में समय–समय पर पारित मा0 सूचना आयोग के आदेशों के अनुपालन सूचनार्थ प्रेषित।
3. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1798 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

–:कार्यालय आदेश:–

सूचना के अधिकार संबंधी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार एवं प्रथम अपील संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किंतु सूचना अधिकार संबंधी अवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत/श्री नेगी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 03 दिन के अन्दर अर्थात 05 दिसम्बर, 2014 तक अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सूचना अधिकार संबंधी उक्त आवेदन पत्र को प्राप्त किये जाने के उपरान्त भी किन परिस्थितियों में निस्तारण हेतु लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया। क्यों न आपके विरूद्ध सूचना अधिकार संबंधी कार्यों में लापरवाही के प्रति कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1798 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि 1. श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर देहरादून को अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 में समय–समय पर पारित मा0 सूचना आयोग के आदेशों के अनुपालन सूचनार्थ प्रेषित।
3. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेख दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त कर लिये गये हैं, जो मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं। मा0 आयोग को अवगत कराना है कि डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेखों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। (संलग्नक कार्यालय आदेश)

2. अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता के दृष्टिगत विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सूचना अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1797 /XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1797 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेख दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त कर लिये गये हैं, जो मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं। मा0 आयोग को अवगत कराना है कि डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेखों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। (संलग्नक कार्यालय आदेश)

2. अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता के दृष्टिगत विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सूचना अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1797 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(HR)-16169/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 आयोग के पत्र संख्या 13836 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे प्रस्तुत अपील संख्या A(HR)-16169/ 2014 श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास विकास कालोनी, हरिद्वार द्वारा प्रथम अपील संबंधी सुनवाई संबंधी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है तथा मा0 आयोग से अनुरोध है कि उक्त अपील पर समय दिया जाय ताकी डाक विभाग से इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर मा0 आयोग को अवगत कराया जा सके। प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों की इन्द्राजि पंजीका मा0 सूचना आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

2. अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता के दृष्टिगत विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सूचना अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1799 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1799 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(HR)-16169/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 आयोग के पत्र संख्या 13836 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे प्रस्तुत अपील संख्या A(HR)-16169/ 2014 श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास विकास कालोनी, हरिद्वार द्वारा प्रथम अपील संबंधी सुनवाई संबंधी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है तथा मा0 आयोग से अनुरोध है कि उक्त अपील पर समय दिया जाय ताकी डाक विभाग से इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर मा0 आयोग को अवगत कराया जा सके। प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों की इन्द्राजि पंजीका मा0 सूचना आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

2. अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता के दृष्टिगत विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सूचना अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1799 /XXV–66(1–5)/2009, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्याः A(HR)–16169 / 2014
अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

अपीलकर्ता श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास विकास कोलानी हरिद्वार उत्तराखण्ड

बनाम

प्रतिवादी **1.** लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री भगवती प्रसाद गोयल द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 10.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **03.12.2014 (बुधवार)** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार **11.00 बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम–3 और नियम–4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **03.12.2014** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील–मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

ह0 / –
(एन0 एस0 नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या 13836 / उ.सू.आ. / अपील / 2014–15 / (CIC) दिनांक 24.11. 2014

प्रतिलिपि

1. श्री भगवती प्रसाद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास विकास कोलानी हरिद्वार उत्तराखण्ड।
2. लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

22/11/14

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव

OCT 2014

13492 **द्वितीय अपील के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दि0 27.09.2014**

6(3)	FAO	KSP
RJO	LO	Secy.
18	P.S.	Dy. Secy.

सेवा में,

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/द्वितीय अपील अधिकारी
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय : **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम विभागीय अपील अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण नहीं किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के तहत द्वितीय अपील के सम्बन्ध में।**

अपीलकर्ता का नाम	:	**भगवती प्रसाद गोयल**
पिता का नाम	:	**स्व0 श्री मथुरा प्रसाद गोयल**
पत्राचार का पता	:	**द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास, विकास कालोनी, हरिद्वार।**

महोदय,

निवेदन है कि अपीलकर्ता ने दिनांक 16.04.2014 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय, देहरादून, उत्तराखण्ड से जनहित में 04 (चार) बिन्दुओं पर सूचना माँगी थी। (संलग्नक-1) परन्तु निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अपीलकर्ता ने दि0 02-06-2014 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सचिवालय, देहरादून (उत्तराखण्ड) की सेवा में सूचना अपील का निस्तारण कराये जाने हेतु अपील की थी। (संलग्नक-2) परन्तु विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आज तक अपीलार्थी की अपील का न तो कोई निस्तारण किया गया और न ही कोई सूचना प्राप्त कराई गई। बल्कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पत्र पत्रांक सं0 1274/XXV-114/2013 दिनांक 20 जून 2014 जो कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित किया गया एवं प्रतिलिपि मुझे प्रेषित की गई जो कि अपीलकर्ता को दिनांक 29.06.2014 को प्राप्त हुई। (संलग्नक-3) काफी अर्से बाद भी कोई सूचना न मिलने तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निस्तारण न किये जाने से अपीलकर्ता पूर्णरूप से असन्तुष्ट है।

.....2

अतः आपके समक्ष अपीलकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील करते हुए आपसे निवेदन करता है कि अपीलकर्ता की अपील स्वीकार कर निस्तारित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

दिनांक : 27.09.2014

अपीलकर्ता

भगवती प्रसाद गोयल
वरिष्ठ पत्रकार
मो0 9412904619

संलग्नक -

1. आवेदक द्वारा दि0 16-04-2014 को दिये गये आवेदन पत्र की छायाप्रति।
2. दि0 02-06-2014 को की गई प्रथम विभागीय अपील प्रपत्र की छायाप्रति।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दि0 29.06.2014 की छायाप्रति।